क्रम-संख्या–209(क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 15 जून, 2026

ज्येष्ठ 25, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 12 / 2026 / 455 / सात-न्याय-2–2026-201जी / 95 टी0सी0

लखनऊ, 15 जून, 2026

अधिसूचना

प0आ0–422

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश पेटी अफेन्सेस (ट्रायल बाई स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स) रूल्स, 1997 के नियम 4 के उपनियम (दो) के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 11 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 21 / 2023 / 410 / सात-न्याय-2–2023–201-जी / 95, दिनांक 24 मई, 2023 का आंशिक उपांतरण करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर निदेश देते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति उक्त उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गयी है, का नाम, पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 24 मई, 2023 से तत्काल प्रभाव से निकाल दिया जायेगा।

अनुसूची

क्रम-संख्या	कार्यरत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	जिला
1	2	3
1	श्री योगेश कुमार	एटा

आज्ञा से,
उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 12/2026/455/VII- Nyay-2–2026-201G/95T.C., dated June 15, 2026:

No. 12/2026/455/VII- Nyay-2–2026-201G/95T.C.

Dated Lucknow, June 15, 2026

IN exercise of the powers under section 11 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023) *read* with sub-rule (ii) of Rule 4 of the Uttar Pradesh Petty Offence (Trial by Special Judicial Magistrate) Rules, 1997, and Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1987) and in partial modification of Government notification no. 21/2023/410/VII-Nyay-2–2023-201G/95, dated May 24, 2023, the Governor, on the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to direct that name of the person mentioned in the Schedule below whose appointments has been cancelled by the said High Court, shall be *omitted* from the aforesaid notification dated May 24, 2023 with immediate effect.

SCHEDULE

Sl. no.	Name of working SJMs	District
1	2	3
1	Sri Yogesh Kumar	Etah

By order,

UDAI PRATAP SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए०पी० 406 राजपत्र–2026–(865)–599+30=629–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।